कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर–चाम्पा (छत्तीसगढ़)

//संशोधित सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन//

अभ्यर्थी संशोधित सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन क्रमांक 692/दो–12–2023, जांजगीर दिनांक 24–04–2024 के अंत में संलग्न **महत्वपूर्ण निर्देश का अनिवार्य रूप से अवलोकन करें।**

1. जो अभ्यर्थी पूर्व में **स्टेनोग्राफर हिन्दी, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, शीघ्रलेखक(स्टेनोग्राफर)(संविदा) कोर्ट मैनेजर स्टाप हेतु, सहायक ग्रेड–3** हेतु **आवेदन प्रस्तुत कर चुके है** और सामान्य वर्ग हेतु 45 प्रतिशत, आरक्षित वर्ग हेतु 40 प्रतिशत अंकों के साथ **स्नातक उत्तीर्ण है** और उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र **आवेदन के साथ संलग्न है** उन्हें पृथक से नवीन आवेदन **प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है** उनका पूर्व का **आवेदन मान्य रहेगा।**

   जो अभ्यर्थी सामान्य वर्ग हेतु 45 प्रतिशत, आरक्षित वर्ग हेतु 40 प्रतिशत अंकों के साथ **स्नातक नहीं है** और **पूर्व** में स्नातक उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र संलग्न कर **आवेदन प्रस्तुत कर चुके है** ऐसे अभ्यर्थी भी स्नातक उत्तीर्ण होने का पृथक से **दस्तावेज प्रस्तुन न करें और न ही नवीन आवेदन प्रस्तुत करें**, उनका पूर्व में प्रेषित **आवेदन मान्य रहेगा।**

2. जो अभ्यर्थी **पूर्व में आकस्मिकता निधि**(कलेक्टर दर) वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर) कोर्ट **मैनेजर स्टाप हेतु चापरासी** (प्यून) हेतु **आवेदन प्रस्तुत कर चुके है** और कक्षा 8वी उत्त्तीर्ण है और पूर्व में प्रेषित आवेदन के साथ 5वी कक्षा उर्त्तीण होने के प्रमाण पत्र के साथ **8वी कक्षा उत्त्तीर्ण होने का भी प्रमाण पत्र संलग्न किये है** उन्हें पृथक से कक्षा 8वी उत्त्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अथवा **नवीन आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है उनका पूर्व का आवेदन मान्य रहेगा।**

   जो अभ्यर्थी **8वी कक्षा उत्त्तीर्ण है** और **पूर्व** में प्रेषित आवेदन के साथ केवल **5वी कक्षा उत्त्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र संलग्न किये है** ऐसे अभ्यर्थी **केवल कक्षा 8वी** उर्त्तीण होने का प्रमाण पत्र की **सत्यापित छायाप्रति** पूर्व में प्रेषित आवेदन में संलग्न करने हेतु पृथक से **केवल आवेदन** जिसमें पूर्व में प्रेषित आवेदन के अनुसार ही नाम, पिता का नाम एवं पता मोबाईल नंबर लिखा हो **प्रस्तुत करें।**

टीप– जो अभ्यर्थी पूर्व में आवेदन प्रस्तुत कर चुके है एवं संशोधित विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता को पूरा करते है और इस संबंध में सभी आवश्यक दस्तावेज उनके आवेदन के साथ संलग्न है तो वे पुनः नवीन आवेदन प्रस्तुत न करें।

अध्यक्ष
भर्ती एवं पदोन्नति समिति
जिला न्यायालय
जांजगीर–चांपा